

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: डा० मधु खरे

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3525-तीन/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 02-07-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 257/2003-2004/अपील.

जगदीश चंद्र गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता
निवासी हाउसिंक कालेनी अफीम गोडाम
रोड, मंदसौर

----- आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- लक्ष्मीलाल पुत्र रूपचंद्र धींग निवासी (ठाकुर साहब का बाग)
कालिदास मार्ग, नेहरू बस रेटेण्ड मंदसौर
- 2- मोहम्मद शफी पुत्र अब्दुल रहीम
निवासी खानपुर गोट मंदसौर जिला मंदसौर ----- अनावेदकगण

(श्री संदीप मेहता, अभिभाषक – आवेदक ।)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15 फरवरी को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्र०क० 257/अपील/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 02-07-2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि कस्वा मंदसौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 790 का भाग रक्का 50 50 वर्गफीट पर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 मंदसौर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 739 ए-96 में पारित आदेश डिकी दिनांक 16-5-1997 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार मंदसौर के समक्ष लक्ष्मीलाल, मदनलाल, माणकलाल पुत्रगण रूपचंद्र धींग द्वारा अलग -अलग तीन आवेदन बटवारा/ नामांतरण हेतु दिये गये, जिन पर तहसीलदार मंदसौर ने तीन प्रकरण क्रमांक 75 अ-6/76 अ-6/77 अ-6/1996-97 पंजीबद्ध करके कार्यवाही प्रांभ की तहसीलदार के उक्त प्रकरणों में इस निगरानी से संबंधित प्रकरण भी था जिसमें लक्ष्मीलाल अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा कस्वा मंदसौर की

भूमि सर्वे कमांक 790 के भाग पर नामांतरण हेतु आवेदन भी शामिल था । तहसीलदार के समक्ष आपत्तिकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई । तहसीलदार मंदसौर ने आपत्ति अवधि— वाह्य प्रस्तुत होना बताते हुये व्यवहार न्यायालय की डिकी के आधार पर आदेश दिनांक 23-09-1997 पारित किया एवं स्थित भूमि सर्वे कमांक 786, 789, 790, 791, 792, 794, की भूमि पर रकबा 0.61 है० , 0.61 है०, 0.61 है० समान रूप से प्रत्येक का नामांतरण एवं बटवारा के आदेश दिये । इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के समक्ष 6 अपील कमशः 2,3,4,6,7,8, / अपील / 1997-98 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 4-5-1998 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 23-9-1997 निरस्त किया गया एवं प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष 6 अपील कमशः 257, 258, 259, 260, 261, 262 / 2003-04 प्रस्तुत हुई, जो अपर आयुक्त ने एक संयुक्त आदेश दिनांक 2-7-2015 से अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर का आदेश 4-5-1998 निरस्त किया गया एवं तहसीलदार मंदसौर का संयुक्त आदेश दिनांक 23-9-97 यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 2-7-15 परिवेदित होकर यह निगरानी दिनांक 28-10-15 को प्रस्तुत की गई ।

3— निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4— आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जब उनसे निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण पूछा गया, विलम्ब के संबंध में आवेदक के अभिभाषक समाधान कारक कारण नहीं बता सके ।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा 6 अपील कमशः 258, 259, 260, 261, 262 / 2003-04 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 2-7-2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 28-10-15 को प्रस्तुत की गई है

५

30/10/2015
माना

अर्थात् आदेश पारित होने के 113 दिन बाद प्रस्तुत है जबकि मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में इस हेतु 60 दिवस की समयसीमा निर्धारित है । आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु 2-9-15 को आवेदन दिया है अर्थात् 60 दिवस पश्चात् तथा आवेदक को 19-10-15 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई है, जबकि प्रमाणित प्रतिलिपि के अंतिम पृष्ठ पर आवेदन दिनांक एवं अन्य अंकित दिनांकों में इस प्रकार के अंक लिखे गये हैं जिनके कारण तारीखों की पहचान करना संभव नहीं है फिर भी प्रतिलिपि प्राप्ति का समय 48 दिवस कम करने पर भी विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत हुई है । प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति दिनांक 19-10-15 के उपरांत निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 28-10-15 के बीच की अवधि का दिन प्रतिदिन का हिसाब भी नहीं दिया गया है एवं अनुचित विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन एवं पुष्टिकरण में शपथ पत्र भी नहीं दिया है । अपर आयुक्त ने विचाराधीन प्रकरण के विरुद्ध आदेश दिनांक 2-7-15 के अंत में लिखा है कि सिविल न्यायालय को स्वत्व के निराकरण की शक्तियां प्राप्त हैं । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन ने 6 अपील्स प्रकरण कमांक 257, 258, 259, 260, 261, 262/2003-04 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 2-7-2015 के अंत में अंकित किया है कि सिविल प्रकरण के विरुद्ध स्वत्व की अंतिम शक्तियां प्राप्त हैं । राजस्व न्यायालय केवल राजस्व अभिलेख अद्यतन रखने के उद्देश्य से उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निर्णय लेता है । तहसीलदार का अदेश दिनांक 16-5-1997 तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 मंदसौर के न्यायालय के प्रकरण कमांक 739 ए- 96 में पारित आदेश / डिकी दिनांक 16-5-1997 के पालन में है । यदि प्रकरण से संबंधित कोई स्वत्व संबंधी आदेश सिविल न्यायालयों द्वारा पारित किया जाता है तो यह आदेश उस निर्णय के अध्याधीन रहेगा । इस प्रकार अपर आयुक्त ने भी सिविल न्यायालय में लिखित प्रकरणों के आदेश के अध्याधीन रहते हुए फैसला दिया है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत होने से निगरानी ग्राह्य करने का कोई विधिक आधार नहीं होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त

उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा 6 अपील्स कमशः 257, 258, 259, 260, 261,
262/2003-04 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 2-7-2015 उचित होने से स्थिर रखा
जाता है।



(डॉ भीम सिंह खरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
गवालियर